न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 17/2019 वाद

श्यामलाल पिता मांगीलाल अहीर, आयु 38 साल, निवासी पीलखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादीगण

//बनाम//

1. मांगीलाल पिता घीसा अहीर, आयु 68 साल, निवासी पीलखेड़ी।
2. घनश्याम पिता मांगीलाल अहीर, आयु 46 साल, निवासी पीलखेड़ी।
3. रामचन्द्र पिता मांगीलाल अहीर, आयु 34 साल, निवासी पीलखेड़ी।
4. मु. कंवरी बाई पत्नी मांगीलाल अहीर, आयु 66 साल, निवासी पीलखेड़ी।
5. रतनलाल पिता घीसा अहीर, आयु 65 साल, निवासी पीलखेड़ी।
6. मोहनलाल पिता घीसा अहीर, आयु 63 साल, निवासी पीलखेड़ी।
7. गीता पिता घीसा अहीर, आयु 60 साल, निवासी पीलखेड़ी।
8. भंवरलाल पिता माधु अहीर, आयु वयस्क, निवासी पीलखेड़ी।
9. बद्रीलाल पिता माधु अहीर, आयु वयस्क, निवासी पीलखेड़ी।
10. मोहनलाल पिता बोतलाल अहीर, आयु वयस्क, निवासी पीलखेड़ी।
11. ताराचन्द पिता बोतलाल अहीर, आयु वयस्क, निवासी पीलखेड़ी।
12. तुलसीराम पिता बोतलाल अहीर, आयु वयस्क, निवासी पीलखेड़ी।
13. मु. हुडी बेवा स्व. बोतलाल अहीर, आयु वयस्क, निवासी पीलखेड़ी।
14. नन्दराम दास पिता औंकार दास बैरागी, आयु वयस्क, निवासी पीलखेड़ी।
15. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडोदा, शाखा कनेरा।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 रा.का.अधि.

श्री सी.बी. सिंह, अधिवक्ता वादी, उपस्थित

श्री नरेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उपस्थित

निर्णय दिनांक 18.06.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा पीलखेडी की खाता संख्या 168 की आराजी नं. 594, 607,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

620, 621, 633, 636, 637, 638, 645, 771 कुल किता 10 कुल रकबा 7.7500 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 167 की आराजी नं. 628, 629, 630, 631 कुल किता 4 कुल रकबा 0.9000 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 166 की आराजी नं. 608 रकबा 0.0900 हैक्टेयर भूमि स्थित है। यह भूमि वादी व प्रतिवादी मांगीलाल, घनश्याम, रामचन्द्र, कंवरी बाई की पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी का जन्म से हित निहित है। मूल पुरूष घीसा पिता लखमीचन्द जी हुए जिनके तीन पुत्र मांगीलाल, रतनलाल, मोहनलाल व पुत्री गीता हुई। इसमें से खाता संख्या 168 की विवादित आराजीयात में प्रतिवादी मांगीलाल, रतनलाल, मोहनलाल का 15/32 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड है तथा गीता का 1/32 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। भंवरलाल व बद्रीलाल का 1/2 हक हिस्सा निहित है। इसी प्रकार खाता संख्या 167 की आराजीयात में मांगीलाल, रतनलाल व मोहनलाल का 15/32 हिस्सा संयुक्त रूप से, गीता का 1/32 हिस्सा व घनश्याम का 1/4 तथा बद्रीलाल का 1/4 हिस्सा निहित है। खाता संख्या 167 की आराजी नं. 608 रकबा 0.0900 हेक्टेयर भूमि नाली मांगीलाल, रतनलाल, मोहनलाल, गीता, भंवरलाल, बद्री, मोहन, ताराचन्द, तुलसीराम, हुड़ी, नन्दरामदास की संयुक्त खातेदारी की है। मांगीलाल जी के तीन पुत्र घनश्याम, श्यामलाल, रामचन्द्र व पत्नी कंवरी बाई हुए। मांगीलाल प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हक हिस्सा निहित हुआ। इसी अनुसार वादी खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है। यह भूमि पुश्तैनी होने से वादी का बाई बर्थ हिस्सा निहित है परन्तु भूमि विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज हुई इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 अन्य प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के सिखावे में आकर वादी को उसका जाईज हक देने से इन्कार कर रहा है। वर्तमान में उक्त भूमि रेण का नाका बांध परियोजना में अवाप्ति में आ रही है जिसका मुआवजा भी अकेले प्रतिवादी संख्या 1 उठाना चाहता है और वादी को उसके जाईज हक हिस्से से महरूम करना चाहता है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पुश्तैनी भूमि होने से वादी अपना 1/4 हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस हेतु वादी ने प्रतिवादीगण से कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये तथा वादी को जबरन बेदखल करने पर आमदा हुए। इसलिए मजबुरन वादी को यह दावा घोषणा, बंटवारा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी का 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जावे। इसी अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विवादित भूमि का बंटवारा फरिकेन के मध्य हिस्से व कब्जे अनुसार करवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। तारीख पेशी पर वादी एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा राजीनामा प्रस्तुत कर विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम 1/4, 1/4 हक हिस्सा घोषित करने का निवेदन किया। वादी ने बंटवारा नहीं चाहा तथा अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध भी कोई सहायता नहीं चाही। ऐसी स्थिति में अन्य प्रतिवादीगण संख्या 4 से 16 की तामिल आवश्यक नहीं है। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम पीलखेड़ी की खाता संख्या 166, 167, 168 की प्रमाणित प्रतियां, मिलान क्षेत्रफल ग्राम पीलखेड़ी, नकल जमाबन्दी संवत 2048-51 ग्राम पीलखेड़ी की खाता संख्या 21, 22 व 23 की प्रतियां प्रस्तुत की है। विवादित भूमि पूर्व में घीसा पिता लखमीचन्द अहीर, सा. देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत से उक्त भूमि प्राप्त हुई है जो पुश्तैनी होकर वादी का बाई बर्थ इन्ट्रेस्ट निहित है। प्रभावित पक्षों ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है तथा वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जो रेकार्डेड खातेदार हैं, उसने भी वादी के कथनों को स्वीकार करते हुए वादी का दावा राजीनामें अनुसार डिक्री किये जाने में सहमति प्रकट की है।

अतः वादी का दावा राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा पीलखेडी की खाता संख्या 168 की आराजी नं. 594, 607, 620, 621, 633, 636, 637, 638, 645, 771 कुल किता 10 कुल रकबा 7.7500 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 167 की आराजी नं. 628, 629, 630, 631 कुल किता 4 कुल रकबा 0.9000 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 166 की आराजी नं. 608 रकबा 0.0900 हैक्टेयर भूमि में वादी श्यामलाल, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क्रमशः मांगीलाल , घनश्याम व रामचन्द्र का प्रत्येक का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से में से 1/4, 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी हिस्से अनुसार उक्त भूमि के मुआवजा राशि प्राप्त करने के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अधिकारी होंगे। शेष सभी खातेदारान का हिस्सा यथावत रहेगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 18.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 17/2019 वाद

श्यामलाल पिता मांगीलाल अहीर, आयु 38 साल, निवासी पीलखेड़ी, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादीगण

//बनाम//

1. मांगीलाल पिता घीसा अहीर, आयु 68 साल, निवासी पीलखेड़ी।
2. घनश्याम पिता मांगीलाल अहीर, आयु 46 साल, निवासी पीलखेड़ी।
3. रामचन्द्र पिता मांगीलाल अहीर, आयु 34 साल, निवासी पीलखेड़ी।
4. मु. कंवरी बाई पत्नी मांगीलाल अहीर, आयु 66 साल, निवासी पीलखेड़ी।
5. रतनलाल पिता घीसा अहीर, आयु 65 साल, निवासी पीलखेड़ी।
6. मोहनलाल पिता घीसा अहीर, आयु 63 साल, निवासी पीलखेड़ी।
7. गीता पिता घीसा अहीर, आयु 60 साल, निवासी पीलखेड़ी।
8. भंवरलाल पिता माधु अहीर, आयु वयस्क, निवासी पीलखेड़ी।
9. बद्रीलाल पिता माधु अहीर, आयु वयस्क, निवासी पीलखेड़ी।
10. मोहनलाल पिता बोतलाल अहीर, आयु वयस्क, निवासी पीलखेड़ी।
11. ताराचन्द पिता बोतलाल अहीर, आयु वयस्क, निवासी पीलखेड़ी।
12. तुलसीराम पिता बोतलाल अहीर, आयु वयस्क, निवासी पीलखेड़ी।
13. मु. हुडी बेवा स्व. बोतलाल अहीर, आयु वयस्क, निवासी पीलखेड़ी।
14. नन्दराम दास पिता औंकार दास बैरागी, आयु वयस्क, निवासी पीलखेड़ी।
15. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडोदा, शाखा कनेरा।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 रा.का.अधि.

प्रकरण में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सीबी सिंह की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी का दावा राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा पीलखेडी की खाता संख्या 168 की आराजी नं. 594, 607, 620, 621, 633, 636, 637, 638, 645,

771 कुल किता 10 कुल रकबा 7.7500 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 167 की आराजी नं. 628, 629, 630, 631 कुल किता 4 कुल रकबा 0.9000 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 166 की आराजी नं. 608 रकबा 0.0900 हैक्टेयर भूमि में वादी श्यामलाल, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क्रमशः मांगीलाल , घनश्याम व रामचन्द्र का प्रत्येक का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से में से 1/4, 1/4 हक हिस्सा घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी हिस्से अनुसार उक्त भूमि के मुआवजा राशि प्राप्त करने के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अधिकारी होंगे। शेष सभी खातेदारान का हिस्सा यथावत रहेगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 18.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.17 16:45:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: